आज्ञा पत्र

[illegible] पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/8/3 को पेश हो।

8/8/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 18/8/3 को पेश हो।

18/8/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 8/9/3 को पेश हो।

8/9/3 पत्रावली पेश। अधि० उभयपक्ष हाजिर। बहस अधि० उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/9/3 को पेश हो।

24/9/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 3/10/3 को पेश हो।

3/10/3 पत्रावली पेश। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। प्रकरण में पेशी दिनांक 8/9/3 को बहस उभयपक्ष आवेदन बटवारा प्रस्ताव पर ~~[illegible] की ओर से आपत्ति [?]~~ वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन बाबत राजीनामा व मौके के अनुसार कब्जा काश्त के आधार पर आज्ञप्ति डिक्री चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत की गई। बहस मुताबिक आवेदन व जवाब

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

आवेदन के बहस / बहस पर गौर किया गया
एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया।
वादीगण द्वारा ~~अविभाजित हि. । द्वारा विभाजन
प्रस्ताव पर आपत्ति~~ आवेदन इस आशय का
पेश किया गया है कि न्यायालय हाजा द्वारा
जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार
द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर ~~बटवारा~~ कब्जे
व राजीनामा की स्थिति को दर्शित करते हुए
प्रस्तुत किया है। तहसीलदार सीकर द्वारा पक्षकारान
की उपस्थिति में मौका स्थिति का अवलोकन करते
हुए यह तथ्य प्रकट व प्रमाणित पाया है कि वादीगण
का मौके पर कब्जा है तथा इसी अनुरूप काबिज
काश्त करते चले आ रहे हैं तथा प्रतिवादी पक्ष ने
इस बाबत राजीनामा भी किया है। इस कारण
वादीगण के वाद-पत्र को मौके पर पाये गये कब्जे
काश्त व राजीनामा के अनुरूप अन्तिम निर्णय
किया जाना उचित व न्यायसंगत है। अतः आवेदन
प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के कब्जे व राजीनामा
के अनुसार प्राप्त बटवारा प्रस्ताव के अनुसार
अन्तिम रूप से निर्णित किये जाने के आदेश
फरमावें।
अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाब
आवेदन पेश किया गया जिसके अनुसार वादी
द्वारा वाद विवादित भूमि में से अपने हक व
हिस्से की भूमि 3/238 भाग का बटवारा किये
जाने बाबत पेश किया है। न्यायालय हाजा
द्वारा विवादित भूमि का विभाजन प्रस्ताव आपसी
सहमति से हो रहे बटवारा के अनुसार, मंगवाने
बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार
से कब्जा व राजीनामा के अनुसार कोई बटवारा
प्रस्ताव नहीं मांगा गया था तथा ना ही तहसीलदार
कब्जे के आधार पर बटवारा प्रस्ताव भेजने
के लिए अधिकृत है। वादीगण द्वारा भी वाद-पत्र

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

मिसल मुकदमा .... द्रा01 .... मु.नं. .... 136 .... वर्ष 2019

आज्ञा पत्र

3-10-2025 मैं कब्जे व राजीनामे के आधार पर कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। तथाकथित राजीनामा फर्जी, प्रतिवादी की बिना जानकारी में लाये तैयार किया गया है। वादीगण द्वारा वाद-पत्र में केवल अपना नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड की भूमि का बंटवारा करने बाबत ही वाद-पत्र पेश किया गया है तथा वही अनुतोष वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत मौके पर कब्जे व राजीनामा के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने को खारिज किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 के हकक हिस्से के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने बाबत आदेश जारी किये जाये की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादीगण द्वारा विवादित भूमि में से अपने हिस्से के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड की भूमि 3/238 हिस्से बाबत बंटवारा का दावा पेश किया गया है तथा उभयपक्ष की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। तहसीलदार सीकर द्वारा विभाजन प्रस्ताव में कब्जे व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि का अंकन करते हुए भिजवाया गया है। तहसीलदार सीकर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव में वादीगण प्रतिवादी रघुनाथ का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 0.03 हैक्टर दर्शाया गया है तथा मौके पर कब्जे के अनुसार 0.2470 हैक्टर दर्शाया गया है। चूंकि वादीगण द्वारा अपने वाद-पत्र में राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाये गये 3/238 हिस्से की भूमि का बंटवारा करने हेतु वाद-पत्र पेश किया गया है। मौके के अनुसार विवादित भूमि का बंटवारा किया जाना ना ही विधि सम्मत है ना ही न्यायोचित है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत कब्जे के अनुसार अन्तिम

उपखण्ड अधिकारी, सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र
	डिक्री जारी प्रति की खारिज किया जाता है तथा ~~तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता~~ विवादित भूमि के सम्बंध में राजस्व रिकार्ड में मुताबिक प्राप्त किया जाकर प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड करें। मृतक खातेदार बंशीधर के हकवारिसान की भूमि वारिसान के नाम नियमानुसार दर्ज हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली मैनुअल अनुसार टीका नम्बर ठीक करके, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, सीकर